

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0रा0भू0 शक्ति-2023/2005-.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय उप समाहर्ता, पटना को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-3 "सी" के अंतर्गत बिहार राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. इसके लिए इन्हें कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0 शक्ति-2023/2005-.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्ता, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0 शक्ति-2023/2005-.....211.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-11.6.14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।